पर्यावरण नियमन के लिए गलत दृष्टिकोण

साभार : लाइव मिंट **13 अक्टूबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान सरकार वैज्ञानिक और आर्थिक निविष्टियों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है और इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, भले ही इसमें राजनीतिक पूंजी का व्यय क्यों न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक की अवधि तक लगाई गयी है, अर्थात दिवाली का त्योहार भी शामिल है, जिसे विस्तृत आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। इस आदेश से निराश लोगों ने यह तर्क दिया है कि अदालत का आदेश प्रकृति में 'हिन्दू-विरोधी' है। अन्य न्यायिक अति-लाभ के लिए इंगित करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह आदेश सबसे अच्छा उदाहरण है। संक्षेप में, दो अलग-अलग समस्याएं हैं जिन्हें अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता है- 1. एक धार्मिक उत्सव के साथ-साथ राज्य की नियामक शक्ति का दायरा और, 2. राज्य की एजेंसी में इस तरह के विनियमन निहित होना चाहिए।

पहली गिनती पर मामला अपेक्षाकृत स्पष्ट है। पटाखों से वातावरण में कार्सिनोजन की भारी मात्रा जारी होती है, जो पूरे शहर के लिए पब्लिक हेल्थ चुनौती पेश करती है। यह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के समान है, जो एक विनियमित गतिविधि है, लेकिन शराब की खपत से अलग है, जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद का रूप यह है कि यह दूसरों के लिए नुकसान का कारण बनता है। जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा पटाखें जलाकर किसी दूसरे को स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करता है, धर्म के किसी भी तर्क को संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में सर्वोच्च नहीं रह सकता है।

अधिक मुश्किल स्थिति विनियमन, एक पूर्ण प्रतिबंध की कमी और एक पूर्ण प्रतिबंध के बीच के विकल्प को चुनना है। फैसले के लिए ट्रेड-ऑफ्स की आवश्यकता होती है, जो वैज्ञानिक संगठनों, नियामक संस्थानों, सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों और नागरिक समाज से कई निविष्टियों पर निर्भर करता है। चूंकि कानून के एक अदालत में इन डोमेनों में इन-हाउस विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए इसे ऐसे मामलों को कार्यकारी छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे उद्योग के व्यावसायिक विचारों को खारिज करते हुए 'स्वच्छ हवा में साँस लेने के अधिकार' और 'स्वास्थ्य के अधिकार' के व्यापक ढांचे में अपना फैसला दिया। इन विचारों को समान रूप से हजारों लोगों की आजीविका के अधिकार के रूप में तैयार किया जा सकता है जो दिवाली के दौरान पटाखे की बिक्री पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, प्रतिबंध बहुत कम प्रभावी हैं। यह सोचना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाके में कोई पटाखा बिक्री नहीं होगी। अगर पुलिस आदेश को लागू नहीं कर पाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता, खासकर पर्यावरण नियमन को नुकसान पहुंचेगा।

जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस विशेष मामले को पेश किया है, यह भी कई चिंताओं को दर्शाता है। पहली बार इस सन्दर्भ में 11 नवंबर, 2016 (दिवाली के बाद) को आदेश जारी किया गया था, जब पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद आदेश पारित कर दिया गया था। फिर 12 सितंबर, 2017 को आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके दूसरे क्रम में, इस सन्दर्भ में कई और प्रयास किये गये, जैसे कि 2016 में पटाखे के विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस की संख्या को 50% तक सीमित करना। **न्यायाधीशों ने भी बयान दिया, 'हमारा मानना है कि 50,00,000 किग्रा की आतिशबाजी 2017 में दशहरे और दिवाली के लिए काफी अधिक है** और आखिरकार, यह सोमवार को तय हुआ कि 11 नवंबर, 2016 को आदेश जारी रहेगा और 12 सितंबर, 2017 के आदेश केवल लागू होंगे और 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी होंगे। मामले को बदतर बनाने के लिए, अदालत ने 12 सितंबर, 2017 के फैसले के बाद जारी किए गए सभी अस्थायी लाइसेंसों को निलंबित करने का आदेश दिया है। लेकिन इनमें से कोई भी नया नहीं है। पहले के एक उदाहरण में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जाने वाले सामानों (मांग वाले ट्रकों में) की मांग लोच में फैक्टरिंग के बिना दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रक पर प्रवेश कर बढ़ा दिया था, जो कि अत्यधिक उपभोग वाला राज्य है। सदी की शुरुआत से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को डीजल से सीएनजी में रूपांतरित करने का आदेश दिया था। यहां तक कि इसे आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किए बिना आदेश पारित किया गया था, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया और अगले कुछ वर्षों में वास्तव में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या अदालत ने प्रभावी- लागत से वायु प्रदूषण को कम कर पाने में सफल हो पाया है?

सीएनजी के आदेश में अन्य हानिकारक दीर्घकालिक परिणाम थे। 2003 के एक पत्र में, माइकल जैक्सन और आर्मिन रोजेनक्रैंज ने चेतावनी दी थी कि कोर्ट की कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों में क्षमता निर्माण में बाधा उत्पन्न करने की संभावना है और इस प्रकार भारत में निरंतर पर्यावरण प्रबंधन के विकास में समझौता करना होगा।' वर्तमान स्थिति में जहाँ वायु प्रदूषण की अनसुलझी समस्या, पर्यावरणीय मुद्दों पर नियामक क्षमता की कमी, कार्यकारी और बढ़े न्यायिक सक्रियता के द्वारा निंदा, यह सुझाव देते हैं कि जैक्सन और रोसेनक्रांज वास्तव में सही थे।

यह उचित समय है कि कार्यकारी अधिकारी अपने दायित्व को समझते हुए कार्यभार को संभालने के लिए वापस आ गये हैं। वर्तमान सरकार वैज्ञानिक और आर्थिक निविष्टियों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, भले ही इसमें राजनीतिक

पूंजी का व्यय हो। केंद्र और राज्यों की सरकारों को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न एजेंसियों को शामिल करना चाहिए और मध्यम से दीर्घकालिक के लिए नियामक मानकों को स्थापित करने में निवेश करना चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है, यह अभी सोचना जरूरी नहीं है: कार्यकारी निषेध और न्यायिक सक्रियता की पूरक घटनाओं ने भारत में पर्यावरण का निर्माण किया हैं।

इससे संबंधित तथ्य

क्या है पूरा मामला

- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
- न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा।
- दिवाली 19 अक्टूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
- शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर, 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के जरिये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की इजाजत देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था।
- शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी। अदालत का यह आदेश नवंबर, 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है।
- इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में 50 लाख किलोग्राम से अधिक पटाखों के भंडारण पर हैरानी जताई थी।
- सितंबर में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि आपके पास तो भारतीय सेना से भी ज्यादा विस्फोटक हैं।

पर्यावरण प्रबन्धन

- जैसा कि इस नाम से लग सकता है, पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण के प्रबंधन से नहीं है, बल्कि आधुनिक मानव समाज के पर्यावरण के साथ संपर्क तथा उसपर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन से है। प्रबंधकों को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख मुद्दे हैं-राजनीति (नेटवर्किंग), कार्यक्रम (परियोजनायें) और संसाधन (धन, सुविधाएँ, आदि)।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

- राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने इस अधिनियम का अनुमोदन 2 जून, 2010 को किया। इस अधिनियम के तहत् पर्यावरण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर, 2010 को किया।
- न्यायाधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पांटा को इस 20 सदस्यीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है तथा इसकी 4 पीठे (बेंच) देश के विभिन्न शहरों में स्थापित की जाएंगी।
- अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत, अधिकरण को सभी दीवानी मामलों में, जहां पर्यावरण संबंधी तात्विक प्रश्न निहित हो, न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा, 15 के तहत् प्राधिकरण को प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय क्षति के कारण पीड़ित को राहत एवं मुआवजा प्रदान करने की शक्ति, संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति (पर्यावरण संबंधी) तथा पर्यावरण नुकसान की क्षतिपूर्ति की शक्ति दी गई है। इस न्यायाधिकरण को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर तीन वर्ष तक के कारावास व 10 करोड़ रुपए (निगम मामलों में 25 करोड़ रुपए) तक की सजा देने का अधिकार होगा।

संभावित प्रश्न

प्र.: हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। क्या आप दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के मौसम में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत हैं? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

Q.: Recently, the Supreme Court has banned the sale of firecrackers in Delhi and NCR region. Do you agree with the Supreme Court order banning firecracker sales in Delhi and the NCR during the Diwali season? Discuss. (200 words)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322